



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 2 नवम्बर, 2020

कार्तिक 11, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1284/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(159)-2020

लखनऊ, 2 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-434

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल परिषद की सिफारिशों पर एतद्वारा, अधिसूचना संख्या क०नि०-2-1557/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(65)-2019, दिनांक 15 नवम्बर, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैरा में शब्द और अंक "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19" के स्थान पर शब्द और अंक "वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20" रख दिये जाएंगे।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1284/XI-2-20-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(159)-2020, dated November 2, 2020 :

No. 1284/XI-2-20-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(159)-2020

Dated Lucknow, November 2, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification no. KA.NI.-2-1557/XI-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(65)-2019, dated November 15, 2019, namely:-

In the said notification in the opening paragraph, for the words and figures "financial years 2017-18 and 2018-19" , the words and figures "financial years 2017-18, 2018-19 and 2019-20" shall be *substituted*.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.